



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-372 राँची, सोमवार,

26 जुलाई, 2021 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

5 जुलाई, 2021

संख्या-14/आ०नी०-04-02/2020 का० 2956-- माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा वाद Special Leave Petition (CIVIL) No. 30621/2011 जरनैल सिंह एवं Civil Appeal No. 1226/2020 मुकेश कुमार एवं अन्य वाद में पारित न्यायादेश के आलोक में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने संबंधी नियम के गठन अथवा प्रभावी नियमों में संशोधन से पूर्व Quantifiable data on inadequate representation, efficiency of administration एवं creamy layer से संबंधित आवश्यक आँकड़ों को एकत्रित कर एक अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करने की आवश्यकता है। उक्त अध्ययन प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:-

1. श्री एल० खियांगते, अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक, SKIPA - अध्यक्ष

2. प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग - सदस्य
3. सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं - सदस्य

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग यह समिति अपना प्रतिवेदन एक माह में उपलब्ध करायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चन्द्र भूषण प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।
